



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1616]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 2014/श्रावण 23, 1936

No. 1616]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2014/SHRAVANA 23, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2014

का.आ. 2063(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 31 जनवरी, 2013 में प्रकाशित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 293(अ), दिनांक 31 जनवरी, 2013 को एतद्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त करती है।

[फा.सं. एनएच-14013/2/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2014

S.O. 2063(E).—In exercise of powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 293(E), dated the 31st January, 2013 published in the Gazette of India, Extraordinary dated 31st January, 2013, with immediate effect.

[F. No. NH-14013/2/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2014

का.आ. 2064(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार एतद्वारा निर्देश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कालम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कालम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अध्यधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 21 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

तालिका

“21.	<p>राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 [किमी 364.000 से किमी 396.000 (किशनगढ़ से अजमेर खंड), किमी 0.00 से किमी 59.00 और किमी 263.500 से किमी 388.000 (अजमेर – उदयपुर खंड) और किमी 177.000 से किमी 260.100 (गोमती का चौराहा – उदयपुर खंड) तक खंड को छोड़कर], 11 [किमी 42.525 से किमी 228.000 (उ. प्र./राजस्थान सीमा – भरतपुर – महुआ – जयपुर) और किमी 246.200 से किमी 298.075 (जयपुर – रींगस) तक खंड को छोड़कर], सं. 11ए, सं. 11बी [किमी 0.00 से किमी 186.000 (लालसोत – करौली – बारी - धौलपुर) तक खंड को छोड़कर], सं. 11सी, सं. 12 [किमी 18.700 से किमी 165.000 से रारा-76 का कोटा बाइपास जंक्शन तक (जयपुर – टोंक – देवली - कोटा) और किमी 346.540 से किमी 412.000 (झालावाड़ – राजस्थान/म. प्र. सीमा) तक खंड को छोड़कर], सं. 14 [किमी 0.000 से किमी 244.000 (व्यावर - पाली – पिंडवाड़ा) और किमी 246.800 से किमी 306.000 (पिंडवाड़ा – राजस्थान/गुजरात सीमा खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 15 [किमी 0.000 से किमी 153.034 (जैसलमेर – बाड़मेर खंड) और किमी 163.400 से किमी 323.857 (फलोदी – जैसलमेर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 65 [किमी 0.000 से किमी 154.141 (हरियाणा/राजस्थान सीमा से सालासर) तक खंड को छोड़कर], सं. 71बी, सं. 79 (नसीराबाद से चित्तौड़गढ़ तक खंड को छोड़कर), सं. 89, सं. 90, सं. 112 [किमी 140.000 से किमी 225.615 (जोधपुर – पचपादरा खंड) और किमी 254.800 से किमी 328.900 (बांडी – बाड़मेर खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 113 [किमी 80.00 से किमी 267.000 (प्रतापगढ़ – पादी – दाहोद) तक खंड को छोड़कर], सं. 114 [किमी 11.000 से किमी 176.040 (जोधपुर – पोखरन खंड) तक खंड को छोड़कर] और सं. 116, नया रारा सं. 58 विस्तार (पुराना रारा सं. 76ए), नया रारा सं. 158, नया रारा सं. 162 विस्तार, नया रारा सं. 709 विस्तार और नया रारा सं. 927ए के उतने भाग राजस्थान राज्य में अवस्थित हैं।</p>	राजस्थान राज्य सरकार”।
------	---	------------------------

[फा.सं. एनएच-14013/2/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3 उप-खंड (ii) के सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ. 1396 (अ), तारीख 28 मई, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2014

S.O. 2064(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:—

In the said notification, in the Schedule, for serial number 21 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

TABLE

(1)	(2)	(3)
"21	So much of National Highway No. 8 [excluding from km. 364.000 to km. 396.000 (Kishangarh to Ajmer section), from Km. 0.00 to km. 59.00 and from km. 263.500 to km. 388.000 (Ajmer – Udaipur section) and from km. 177.000 to km. 260.100 (Gomti ka Chauraha – Udaipur section)], No.11 [excluding from Km.42.525 to Km. 228.000 (UP/Rajasthan Border-Bharatpur-Mahua-Jaipur) and from km.246.200 to km.298.075 (Jaipur-Reengus)], No.11A, No.11B [excluding from km.0.00 to km. 186.000 (Lalsot-Karauli-Bari-Dholpur)], No.11C, No.12 [excluding from km.18.700 to km.165.000 to Junction of Kota bypass on NH 76 (Jaipur-Tonk-Deoli-Kota) and from km. 346.540 to km. 412.000 (Jhalawar-Rajasthan/Madhya Pradesh border)], No.14 [excluding from km.0.000 to km.244.000 (Beawar-Pali-Pindwara) and from Km.246.800 to Km.306.000 (Pindwara - Rajasthan/Gujarat Border section)], No.15 [excluding from km. 0.000 to km. 153.034 (Jaisalmer-Barmer section) and from km. 163.400 to km. 323.857 (Phalodi-Jaisalmer section)], No.65 [excluding from Km.0.000 to Km. 154.141 (Haryana/Rajasthan Border to Salasar)], No. 71 B, No.79 (excluding from section Nasirabad to Chittorgarh), No.89, No.90, No.112 [excluding from km. 140.000 to km. 225.615 (Jodhpur-Pachpadra section) and from km. 254.800 to km. 328.900 (Bagundi-Barmer section)], No.113 [excluding from km.80.00 to km.267.000 (Pratapgarh-Padi-Dahod)], No. 114 [excluding from km. 11.000 to km. 176.040 (Jodhpur-Pokaran section)], No. 116, new NH No. 58 Extn (old NH No. 76A), new NH No. 158, New NH No. 162 Extn, new NH No. 709 Extn and new NH No. 927A as are situated within the State of Rajasthan.	State Government of Rajasthan.”

[F. No. NH-14013/2/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended vide number S.O. 1396 (E), dated the 28th May, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2014

का.आ. 2065(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988

(1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के सङ्कर परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2572(अ), तारीख 14 नवंबर, 2011 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, राजस्थान राज्य के संबंध में क्रमशः कॉलम सं. (1), (2) और (3) के अंतर्गत निम्नलिखित का विलोप किया जाएगा:—

“76ए (राजस्थान राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग)	रारा-58 का विस्तार	उदयपुर – कुमदाल नया खेड़ा – झाड़ौल – सोम – नलवा दइया राजस्थान राज्य में	किमी 0.000 से किमी 72.000
--	--------------------	---	---------------------------

[फा.सं. एनएच-14013/2/2014-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

टिप्पण: मूल अधिसूचना को सं. का.आ. 2572(अ), तारीख 14 नवंबर, 2011 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2014

S.O. 2065(E).—In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2572(E), dated the 14th November, 2011, namely :—

In the Table to the said notification, the following entries in respect of the State of Rajasthan, under columns number (1), (2), (3) and (4) respectively shall be omitted:—

“76A (Complete National Highway in Rajasthan)	Extension of NH. 58	Udaipur - Kumdal Naya Kheda-Jhadol-Som-Nalwa Daiya in the state of Rajasthan	From km. 0.000 to km. 72.000.”
---	---------------------	--	--------------------------------

[F. No. NH-14013/2/2014-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Note: - The principal notification was published vide number S.O. 2572(E), dated the 14th November, 2011.